जेपीआर 5– 781
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
website – www.jaipurdiscom.com
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – secomml@jvvnl.in
CIN:U40109RJ2000SGC016486

क्र0 जेपीडी/अधी.अ.(वा.)/सी–।/एफ. /प्रे0 2538 जयपुर, दिनांक– 16/03/2016

आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि कृषि श्रेणी में आवेदकों से नये कनेक्शन एवं अन्य कार्यों जैसे लोड बढ़ाना/घटाना, नाम परिवर्तन, रि–कनेक्शन आदि के लिये धरोहर राशि अलग–अलग ली जा रही है जो कि विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबंधन–2004 के अनुरूप सही नहीं है।

विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबंधन–2004 के प्रावधानों के अनुरूप नये कृषि कनेक्शन के समय प्रोविजनल धरोहर राशि 2 माह के स्थाई शुल्क के बराबर निर्धारित हैं जो वर्तमान में ब्लॉक सप्लाई के लिये 15 रू0 प्रति एचपी प्रतिमाह एवं अन्य के लिये 30 रू0 प्रति एचपी प्रति माह है। अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में नये कृषि कनेक्शन एवं अन्य कार्यों जैसे लोड बढ़ाना/घटाना, नाम परिवर्तन, रि–कनेक्शन आदि के लिये प्रोविजनल धरोहर राशि, विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबंधन–2004 के प्रावधानों के अनुरूप ही वसूल की जावे।

सभी संबंधित उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

(ए.के.सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

D/Joshi/JPR-